भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-443
बुधवार, 16 सितम्बर, 2020/25 भाद्रपद, 1942 (शक)

रोज़गार सृजन के लिए योजनाएं

443. श्री सी.एम. रमेशः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों के दौरान, मंत्रालय के अंतर्गत उन विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका कार्यान्वयन किया गया है, जो पूरी होने वाली हैं या जिनका आरंभ होना अभी बाकी है; और

(ख) विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से कितने लोगों को रोज़गार प्राप्त करने में लाभ मिला है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ख): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत, भारत सरकार, 01.04.2018 से ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) दोनों के लिए (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों तक लगातार लाभ प्राप्त होगा। 14 सितम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हो चुका है।

सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण हेतु मिशन मोड परियोजना के रूप में राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का भी कार्यान्वयन किया है जो रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी सूचना, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप इत्यादि जैसी विविध रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान कराती है।

पीएमजीकेवाई के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान तीन माह के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

उपरोक्त पहल अन्य क्षेत्रक मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं के अतिरिक्त हैं।

******